संख्या: 94/2019/2377 ई-2/तेरह-2019-50/96

प्रेषक,

आलोक कुमार द्विवेदी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 दिसम्बर, 2019

विषय: मेसर्स गाजियाबाद आर्गेनिक्स, गाजियाबाद की अधिष्ठापित क्षमता 150 लाख ली. वार्षिक के अन्तर्गत 45 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का ई.एन.ए. प्लान्ट स्थापित करने तथा आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता का 50 प्रतिशत अर्थात 25 कि.ली. प्रतिदिन अथवा 75 लाख लीटर प्रतिवर्ष पेय मदिरा का उत्पादन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-50/दो-प्रा.डी.-69, दिनांक 04-09-2019 तथा इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 06-11-2019 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या-2258 ई-2/तेरह-2019-69/2011, दिनांक 18-11-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्वहित में मे. गाजियाबाद आर्गेनिक्स लि., गाजियाबाद को आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 50 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात 150 लाख ली. वार्षिक के अन्तर्गत रेक्टिफाइड स्प्रिट एवं अब्सोल्यूट अल्कोहल उत्पादन के साथ-साथ 45 कि.ली. क्षमता का ई.एन.ए. प्लान्ट एवं 25 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् 75 लाख लीटर प्रतिवर्ष पेय मदिरा का निर्माण किये जाने तथा बाजार की मांग के अनुसार आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत रेक्टिफाइड स्प्रिट, एस.डी.एस., अब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ ई.एन.ए. एवं पेय मदिरा की बिक्री किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि पेय मदिरा निर्माण किये जाने से एथनॉल का उत्पादन एवं वितरण प्रभावित न होने पाये तथा आसवनी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त कन्सेन्ट में औद्योगिक अल्कोहल के साथ-साथ ई.एन.ए./पेय मदिरा उत्पादन किये जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की सहमति भी ई.एन.ए. प्लान्ट चलाये जाने से पूर्व प्राप्त कर आबकारी आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करायेगी तथा आसवनी द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 के संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।